संख्या-190/2016/आर-3765/26-3-2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 25 अक्टूबर 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में उपलेखाशीर्षक-03-मुख्यालय अधिष्ठान के अन्तर्गत 14-मोटर गाड़ियों का क्रय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-135/ज.जा.वि./2016-17, दिनांक-02-09-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-81 के आयोजनेत्तर पक्ष में **लेखाशीर्षक-2225-02-796-03-मुख्यालय अधिष्ठान के अन्तर्गत-14-मोटर गाड़ियों का क्रय मद** हेतु रूपया-0.61 लाख (रूपया इकसठ हजार मात्र) की धनराशि को संलग्नक चार्ट (बी.एम.9) में उल्लिखित विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुये निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय प्रश्नगत कार्य हेतु समय-समय पर जारी शासनादेशों/वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा। उक्त क्रय किये जाने वाले वाहन का उपयोग निदेशक, जनजाति विकास विभाग के अतिरिक्त अन्य के द्वारा कदापि नही किया जायेगा।

(2)-उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार यथासमय महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया गया।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला ब्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-ब्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनेत्तर-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-03-मुख्यालय अधिष्ठान-14 मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी-एम-9(पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 की अशासकीय संख्या-ई-3-1415/दस-2016, दिनांक-20-10-2016 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-190/2016/आर-3765(1)/26-3-2016-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ)
5-गार्डफाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0–9 भाग–1

पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–81– समाज कल्याण (जनजाति विकास विभाग) आयोजनेत्तर — वित्तीय वर्ष 2016–17 — (रू0 हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण						निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण					
लेखाशीर्षक–15 डिजिटल कोड में (आयोजनेत्तर)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)	लेखाशीर्षक–15 डिजिट में (आयोजनेत्तर)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–**आयोजनेत्तर**–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–03 मुख्यालय अधिष्ठान						2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–आयोजनेत्तर–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–03 मुख्यालय अधिष्ठान					
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्टवेयर का कय	**80**	**80**	**61**	**61**	**19**	14–मोटर गाड़ियों का कय	**700**	**761**	**61**	**61**	**761**
योग	**80**	**80**	**61**	**61**	**19**		**700**	**761**	**61**	**61**	**761**

1– स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :–

क. प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत उल्लिखित मानक मद में मांग न होने के कारण प्राविधानित धनराशि रूपया–80,000/– की बचत हो रही है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

क. मद संख्या–14–मोटर गाड़ियों का कय मद से निदेशक, जनजाति विकास विभाग के लिये 01 वाहन कय किया जाना है जिसकी कीमत रूपया–7,60,568/– है किन्तु उक्त मद में केवल बजट प्राविधान रूपया–7.00 लाख ही है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुवल के प्रस्तर–150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–136/ई–3–546/दस–2016 दिनांक–20–10–2016

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव,
समाज कल्याण विभाग।

(राम सुमेर)
अनुसचिव
वित्त विभाग।

—2

p

page 112

http://shas

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

पृ0संख्या–190/2016/आर–3765(1)/26–3–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
5–वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6– निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7– समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
8– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।